

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास निगम लिमिटेड



यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
ए-1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं० 1050,
कानपुर-208 024
दूरभाष : 2582851-53
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाईट : www.upsidc.com
ई मेल : feedback@upsidc.com

सन्दर्भ सं० 105-109/एसआईडीसी/आईए/ Policy Issues MD's References -- दिनांक 21-4-15

:- कार्यालय आदेश :-

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.3.2015 को सम्पन्न 287वीं बैठक में औद्योगिक भूखण्डों को लाटरी पद्धति से आवंटित करने के स्थान पर निगम में आवंटन हेतु पूर्व में प्रचलित साक्षात्कार के माध्यम से आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्ड नोट प्रस्तुत किया गया था। निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 801-804/एसआईडीसी/आईए-Policy Issues MD's दिनांक 08.8.2014 के आवंटन से सम्बन्धित बिन्दु -ख- को अवक्रमित करते हुये निम्न व्यवस्था अनुमोदित की गयी है-

आपरेटिंग मैनुअल-2011 के क्लाज संख्या- 2.04 में वर्णित प्राविधानों को यथावत पुनः अनुमन्य करते हुये क्षेत्रीय स्तर/मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटी की संस्तुतियों पर अन्तिम रूप से प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदनोपरान्त भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जाएगी, किन्तु यह प्रतिबन्ध रहेगा कि विशेष परिस्थितियों में यदि साक्षात्कार के उपरान्त साक्षात्कार समिति द्वारा आवंटन योग्य भूखण्डों के सापेक्ष अधिक उद्यमी चयनित कर लिये जाते हैं, तो उनको लाटरी पद्धति से पुनः चयनित करते हुये व अन्तिम रूप से प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन उपरान्त आवंटन पत्र निर्गत किये जाएंगे

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है:-

51
(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक 90

संख्या 105-109/एसआईडीसी-आईए- Policy Issues MD's References --दिनांक 21-4-15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफीसर प्रबन्ध निदेशक कैम्प, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।
5. महाप्रबन्धक (विकास), उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Mgr(c)
Manager
Manager (SV)
21/4/15

51
(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक 90